

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श0) (सं0 पटना 1085) पटना, वृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना 16 नवम्बर 2017

एस. ओ. 292 दिनांक 16 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

- 1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (दशम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
 - (2) ये दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, -
 - (i) नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्निलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण—नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338(क), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017-एकीकृत कर, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा ।";

- (ii) नियम 54 के उपनियम (2) में, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) नियम ९७ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"97क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";

(iv) नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";

(v) नियम 124 में,--

- (क) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्निलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, अध्यक्ष की नियुक्ति समास कर सकेगी ।";
- (ख) उपनियम (5) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, तकनीकी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी ।";

(vi) "प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01" के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क [नियम 89(1) और नियम 97क देखें] प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन./								
	अस्थाई पहचान पत्र								
2.	विधिक नाम								
3.	व्यापार का नाम, यदि								
	कोई हो								
4.	पता								
5.	कर की अवधि			· से			_		
5.		<	वव ><भास	ı > 4	< 44	><मास> तव	Þ		
6.	(यदि लागू हो)	- 6		T	T			I	
0.	दावा किए गए प्रतिदाय	आध	ोनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
	की रकम (रू. .)	केंद्रीय							
		राज्य/स							
		राज्यक्षे							
		एकीकृत	न कर						
		उपकर							
		योग							
7.	दावा किए गए प्रतिदाय	(क)	इलेक्ट्रानि	क जमा खाते	में आधिक्य	अधिशेष			
	के आधार (सामने में	(ख)	सेवाओं क	ग निर्यात – व	न्र के भुगता	न के साथ			
	से चुनें)	(ग)	माल/सेवाः	ओं का निर्यात	न – कर के भ्	गुगतान के बि	ना (संचित अ	गई.टी.सी.)	
		(घ)	विपरीत व	फर संरचना वे	म प्रति शोध्य	र संचित आ	ई.टी.सी. [धार	त 54(3) के प	पहले परंतुक
			के खंड (i	i) के अधीन]				
		(ক্ট)	विशेष आ	र्थिक जोन इ	काइयों/ विशेष	ष आर्थिक जो	न विकासकत	र्गाओं को किए	र गए प्रदाय
			के कारण	(कर के भुग	तान के साथ)			
		(च)	विशेष आ		काइयों/ विशे	ष आर्थिक जो	न विकासकत	र्गाओं को किए	र गए प्रदाय
				कर के भुग	•				
		(छ)		 या निर्यात क					
		` ′	'						

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सम्मिलत नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

<u>स्वघोषणा</u>	[नियम 8 9(2)(छ)]

मैं/ हम	(आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईः	डी सत्यनिष्ठा से प्रति	तेज्ञान करता हूं/
करती हूं/करते हैं और प्रमाणित	करता हूं/करती हूं/करते हैं कि	से तक कि अर्वा	धे के लिए कर,
ब्याज या अन्य किसी राशि से र	मंबंधित रूपये की राशि के प्रतिदाय के	ह संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जि	सका दावा किया
गया है, उसके बारे में ऐसे कर 3	ौर ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति प	र आरोपित नहीं किया गया है।	

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

(यह घोषणा उन आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।)

8. सत्यापन

मैं/ हम<करदाता का नाम>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान तारीख

1

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

<u>अनुबंध-1</u>

विवरण -1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंत्क का **खंड** (ii)]

(राशि रूपये में)

माल की विपरीत	माल की ऐसी	समायोजित	शुद्ध इनपुट कर	दावा किये जाने वाली
कर दर पर प्रदाय	विपरीत कर दर	कुल आवर्त	प्रत्यय	अधिकतम प्रतिदाय की
का आवर्त	पर संदेय कर	_		राशि
				[(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय राशि की संगणना (राशि रूपये में)

समायोजित कुल प्रतिदाय की राशि शून्य दर पर माल और सेवाओं शुद्ध इनपुट कर $(1\times2\div3)$ के प्रदाय का आवर्त प्रत्यय आवर्त 3 4

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भ्गतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख

[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें]

प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन																								
2.	जीएसटीआईएन/ अर	. थार्य	ो अ	ईडी																					
3.	विधिक नाम																								
4.	फाइल किए जाने की	ो ता	रीख																						
5.	प्रतिदाय का कारण																								
6.	वित्तीय वर्ष																								
7.	मास																								
8.	आदेश सं.:																								
9.	आदेश को जारी कि	ए जा	ने व	गित	ारीख	T :																			
10.	पेमेंट एडवाइस की	ਜਂ. :																							
11.	पेमेंट एडवाइस की व	नारीय	ब्र :																						
12.	जिसको प्रतिदाय जा	री वि	क्रया	गय	T :		ड्र	प ड	13न	: क	रदात	ग / उ	पभो	क्ता	कल	याण	नि	ध							
13.	के द्वारा जारी :																								
14.	टिप्पणी :																								
15.	आदेश का प्रकार						ड्रा	प ड	13न	: अ	रएप	न्डी	- 04/	/ 06/	07 (भाग	क)								
16.	प्रतिदाय राशि के ब्य	गौरे (मैनुः	अल	रूप	से	जारी	आदे	श दे	स्त्र	नुसा	₹):													
	विवरण		ए	कीकृ	त व	न्र			वे	न्द्र <u>ी</u>	य क	न्र		राउ	-य⁄स	ांघ र	ाज्य	क्षेत्र	कर	उपकर					
		कर	ब्याज	शास्ति	शेल्क	अन्य	योग	भू	ब्याज	शास्ति	कर्योह	अन्य	योग	भू	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	भू	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग
क. दावा राशि	की गई प्रतिदाय	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर	ল্যান	शास्ति	कर्याहे	अन्य	योग	भर	ল্মান	शास्ति	क्रें कि	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	क्येंहि	अन्य	योग
राशि	ं की गई प्रतिदाय	कर	ब्याज	शास्ति	र्वञ्चि	अन्य	योग	कर्	হ্যান	शास्ति	कर्याहे	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	योग	कर्	ब्याज	शास्ति	कर्याहे	अन्य	त्रोन
राशि ख. अन	· 	कर	ब्याज	शास्त्र	कर्याह	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	<u>ક્વ</u> ્યકિ	अन्य	योग	कर	ল্যান	शास्ति	<u> બ</u> ન્ખીઠે	अन्य	योग	कर्	ন্ধান	शास्ति	<u>कर्</u> थि ।	अन्य	योग
राशि ख. अन	ंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय	कर	হ্যান	शास्ति	र्क्शिक	अन्य	योग	क्	ম্বান	शास्ति	फर्याहे	अन्य	योग	<u>क</u>	ল্বান	शास्ति	<u> </u>	अन्य	योग	कर्	ब्याय	शास्ति	<u>ક્વ</u> ્યકિ	अन्य	योग
राशि ख. अन् मंजूर कि ग. अतिश् घ. अ	ंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय	कर	ब्याज	शास्ति	अध्य	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	कर्याहे	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	अल्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	अध्य	अन्य	योग
राशि ख. अन मंजूर कि ग. अतिश् घ. अ राशि	ंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय शेष राशि स्वीकार्य प्रतिदाय	कर	ब्याज	शास्ति	कर्याह	अन्य	योग	कर	ब्यान	शास्त्र	क्येहि	अन्य	योग	कर	ब्याय	शास्ति	श्रेष्क	अन्य	योग	कर	ब्यान	शास्ति	क्रिक्क	अन्य	योग
राशि ख. अन मंजूर कि ग. अतिश् घ. अ राशि ङ सक	तंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय शेष राशि स्वीकार्य प्रतिदाय त राशि, जिसका	कर	ब्यान	शास्त्र	केल्फ	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	क्रिक्टी	अन्य	योग	कर	स्याज	शास्त्र	री विष्क	अन्य	योग	कर	লোভ	शास्ति	किन्ध	अन्य	योग
राशि ख. अन मंजूर कि ग. अतिश् घ. अ राशि ङ सक भुगतान	नंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय शेष राशि स्वीकार्य प्रतिदाय ल राशि, जिसका किया जाना है	कर	লোভ	शास्ति	क्रिक्ट	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	कर्याहे	अन्य	योग	कर	ধ্যান	शास्ति	कर्नाह विष्क	अन्य	योग	कर	ब्याज	शास्ति	कर्याहे	अन्य	योग
राशि ख. अन मंजूर कि ग. अतिश घ. अ राशि ङ सक भुगतान च. ब्याज	ंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय शेष राशि स्वीकार्य प्रतिदाय ल राशि, जिसका किया जाना है	कर	হ্বান	शास्ति	फर्शि	अन्य	योग	कर	ब्याव	शास्त्र	फर्यहे	अन्य	योग	कर	হ্যান	शास्ति	कर्नाहे शिष्क	अन्य	योग	कर	ब्याव	शास्ति	क्रिक्क	अन्य	योग योग
राशि ख. अन मंजूर कि ग. अतिश् घ. अ राशि ङ सक भुगतान च. ब्याज	तंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय शेष राशि स्वीकार्य प्रतिदाय ल राशि, जिसका किया जाना है (यदि कोई हो)	कर	লোভ	शास्ति	क्रेप्टि	अन्य	योग	कर	स्याव	शास्त्र	कर्जह	अन्य	योग	कर	ন্দ্র	शास्ति	क्रिक्ट	अन्य	योग	कर	নো	शास्ति	अध्य	अन्य	योग योग
राशि ख. अन मंजूर कि ग. अतिश् घ. अ राशि ङ सक भुगतान च. ब्याज छ. विद्यम् अधीन	ंतिम आधार पर या गया प्रतिदाय शेष राशि स्वीकार्य प्रतिदाय ल राशि, जिसका किया जाना है	कर	ब्याज	शास्त्र	फर्शि	अन्य	योग	कर	स्याव	शास्त्र	कर्यह	अन्य	योग	कर	ब्याव	शास्ति	क्यिं	अन्य	योग	कर	হ্যান	शास्ति	अध्य	अन्य	योग प्रांग

ज. शुद्ध राशि, जिसका												
भुगतान किया जाना है												
17. कुर्की (आदेश)		आरएप	ਸਤੀ -04;	आरए	फडी - ()6; 3	ारएफ	ਾਂ ਹ	७ (भा	ग क	5)	
तरीख:		हस्ताक्ष	र (डीएस	सी):								
स्थान :		नाम :										
		पदनाम	:									
		कार्याल	य का प	ता :								

[(सं0सं0-ब्रिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017-4108)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 293, एस०ओ० 292, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंगेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(संOसंO-ब्रिक्री-कर/जीOएसOटीO/विविध-21/2017-4108)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

The 16th November 2017

- S.O. 292, Dated 16th November 2017—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from 15th November, 2017.
 - 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i)

2017.";

inserted, namely:- "Explanation - For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E) dated the 27th October,

in rule 43, after sub-rule (2), the following explanation shall be

- (ii) in rule 54, in sub-rule (2), for the words "supplier shall issue", the words "supplier may issue" shall be substituted;
- (iii) after rule 97, the following rule shall be inserted, namely:-"97A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.";
- (iv) after rule 107, the following rule shall be inserted, namely:-"107A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.";
- (v) in rule 124, -
 - (a) in sub-rule (4), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
 - "Provided further that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Chairman at any time.";
 - **(b)** in sub-rule (5), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -
 - "Provided further that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Technical Member at any time.";

(vi) after the "FORM GST RFD-01", the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN /												
	Temporary ID												
2.	Legal Name												
3.	Trade Name, if any												
4.	Address												
5.	Tax period (if applicable)	From	<year><n< th=""><th>Month></th><th>То</th><th><year><n< th=""><th></th><th></th></n<></year></th></n<></year>	Month>	То	<year><n< th=""><th></th><th></th></n<></year>							
6.	Amount of Refund Claimed(Rs.)	1	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total				
		Centra	al tax										
		State /	'UT tax										
		Integr	ated tax										
		Cess											
		Total											
7.	Grounds of Refund	(a)	Excess b	alance in El	ectronic Ca	sh Ledger							
	Claim (select from	(b)	Exports	of services-	with payme	ent of tax							
	drop down)	(c)				hout paymer							
		(d)		imulated du o section 54		d tax structu	re[under cla	use (ii) of fi	rst				
		(e)	On accou	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer(with payment of tax)									
		(f)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)										
		(g)	Recipien	t of deemed	export								

DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name -

Designation / Status

SELF- DECLARATION [rule 89(2)(1)]

_ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in I/We respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to---, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name -

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

8. Verification

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place Date

Signature of Authorised Signatory (Name)

Designation/Status

Annexure-1

Statement -1 [rule 89(5)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of inverted rated supply of goods	Tax payable on such inverted rated supply of goods	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)- calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

FORM-GST-RFD-01 B [See rules 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) and 97A] Refund Order details

1.	ARN																								
2.	GSTIN/	Tem	por	ar	y II	D																			
3.	Legal Nai	me																							
4.	Filing Da	te																							
5.	Reason of	f Ref	une	d																					
6.	Financial	Yea	r																						
7.	Month																								
8.	Order No	·.:																							
9.	Order iss	uanc	e D	ate	e:																				
10.	Payment	Adv	ice	No	.:																				
11.	Payment	Adv	ice	Da	te:																				
12.	Refund Is	ssue	l To	0:							D	rop	do	wn	: T	axp	aye	er/	Cor	sun	ner	Wel	fare	Fun	d
13.	Issued by	:																							
14.	Remarks	:																							
15.	Type of C	orde	r								D	rop	Do	owi	ı: R	RFL)- ()	4/ ()6/()7 (I	Part	(A)			
16.	Details of	Ref	und	l A	mo	un	t (A	As j	per	the	m	ant	ıall	y is	ssu	ed	Or	deı	:):						
	Details of ription		und							the itra			ıall	_			Or UT					C	ess		
					ed '	Ta	X		Cer	ntra		ax		\$	Sta	te/	UT	` ta	X	Tax	Interest	Penalty O		Others	Total
Descr	ription d amount	In	tegi	rate	ed '	Ta	X		Cer	ıtra	l T	ax		\$	Sta	te/	UT	` ta	X	Tax	Interest			Others	Total
a. Refunclaime	d amount ed d oned on	In	tegi	rate	ed '	Ta	X		Cer	ıtra	l T	ax		\$	Sta	te/	UT	` ta	X	Tax	Interest			Others	Total
a. Refun claime b. Refun Sancti provis	d amount ed d oned on ional	In	tegi	rate	ed '	Ta	X		Cer	ıtra	l T	ax		\$	Sta	te/	UT	` ta	X	Tax	Interest			Others	Total
a. Refunclaime b. RefunSancti provis basis c. Remai	d amount ed d oned on ional ining nt d	In	tegi	rate	ed '	Ta	X		Cer	ıtra	l T	ax		\$	Sta	te/	UT	` ta	X	Tax	Interest			Others	Total

f. Interest (if any)																						
g. Amount adjusted against outstanding demand under the existing law or under the Act h. Net amount to																						
be paid 17.	Attac	RFD-04; RFD- 06; RFD 07 (Part A)																				
Date: Place:								Signature (DSC): Name: Designation: Office Address:														

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017-4108)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण) 1085-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in